उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादी उपस्थित वादी पक्ष

18/3/25 पत्रावली पेश/पक्षकार वादी जाता है विस्तृत निर्णय
वाद को खारिज किया जाता पत्रावली शामिल
पृथक से लिखा जाकर पत्रावली के नक्शा
फैसला शामिल पत्रावली प्रति अनुसार के साथ
नक्शा के साथ पत्रावली नियत दाखिल
मे शामिल की

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
165/2012	10.07.2012	18.03.2026

बउनवान

1. मतादीन पुत्र बूला (फौत)
1/1 धपती पुत्री मातादीन
1/2 चलती पुत्री मातादीन
1/3 धारासिंह पुत्र मातादीन
1/4 ज्योति पत्नि रामनिवास
1/5 कृष्ण पुत्र रामनिवास
1/6 मनीषा पुत्री रामनिवास
1/7 अभय सिंह पुत्र मातादीन
1/8 अजीत पुत्र मातादीन निवासीयान मंढा तह0 मुण्डावर
2. जगदीश पुत्र झूथर
3. शमसेर पुत्र झूथर
4. पप्पू पुत्र झूथर
5. अमरसिंह पुत्र झूथर
6. जसवन्त पुत्र झूथर निवासी मंढा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. साधूराम पुत्र सीताराम निवासी मंढा तह0 मुण्डावर
2. रामसिह पुत्र भोलूराम
3. सरिया पुत्री भोलूराम
4. सरजीत पुत्र भोलूराम
5. कंवरसिंह पुत्र भोलूराम
6. चलती देवी पुत्री भोलूराम निवासीयान मंढा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर
8. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय हु0 ई0 वो हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील – श्री सतीश यादव

बयान दावा मिन वादी निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि आराजी खं०नंम्बरान 961 रकबा 0.03 है0, 982 रकबा 0.76 है0, 986 रकबा 0.39 है0, 987 रकबा 1.58 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि विवादित आराजी वादी सं0 1 के पिता एवं वादी सं० 2 ल0 6 के दादा स्व0 श्री बूलाराम की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी के साबिक खं० नं0 449 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा थे, जिससे भू प्रबन्ध विभाग ने हाल खं०नम्बरान 961 रकबा 0.03 है0, 982 रकबा 0.76 है0, 986 रकबा 0.39 है0, 987 रकबा 1.58 है0, वाके ग्राम मंढा में पैमूद किये है। वाद पत्र के साथ मिलानक्षेत्रफल संलग्न है।
3. यह है कि विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्ग स्व० श्री बूलाराम की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है। स्व० श्री बूलाराम के हम वादीगण विधिक वारिस है। मिन वादीगण के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है।

बूलाराम

.... |.....

झूथर — मातादीन

| — वादी संख्या 01

..... |..... |..... |..... |..... |.....

जगदीश शमसेर अमरसिंह पप्पू जसवन्त

4. यह है कि साबिक खं0 नं0 449 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 1998 व जमाबन्दी सम्वत 2002 के अनुसार वादीगण के बुर्जुगान नाथिया, हरफूल 1/3 भाग बूला 1/3 भाग, बोदन 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार थे, बोदन लावल्द बिला औरत फौत हो गया। चूँकि बोदन वादीगण के बुर्जुगो के परिवार से था, इसलिए उसके विधिक वारिस भी बूलाराम व नाथिया, हरफूल थे, और बोदन के फौत के बाद उसके हिस्से की आराजी 1/3 भाग में से 1/2 भाग नाथिया, हरफूल व 1/2 भाग मिन वादी के पिता/दादा बूलाराम में निहित हो गया, जो निर्विवाद है। इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी के 1/2 भाग के काश्तकार खातेदार हो गये व मौके पर भी बुर्जुगो के समय से ही इसी प्रकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
5. यह है कि प्रतिवादीगण के दादा भूरिया पुत्र सालगा काफी चालाक प्रवृति का आदमी था, जिसने राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर वादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी को अपने नाम तन्हा दर्ज करा लिया, जबकी विवादित आराजी से उनका कभी भी कोई सम्बन्ध व सरोकार नही था व नाही आज प्रतिवादीगण का, प्रतिवादीगणो के पूर्वजो का आज दिन तक विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है, राजस्व रिर्कोड में खिलाफ मौका अंकन दर्ज हो रहा है, जो गलत है, इसलिए वादीगण इस गलत अंकन को दुरूस्त कराने के अधिकारी है व प्रतिवादीगणों के दादा भूरिया पुत्र सालगा के नाम से गैर खातेदारी का चला आ रहा अंकन हजफ कराकर अपने आपकों 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। भूरिया पुत्र सालगराम फौत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 है। जिन्हे वाद में पक्षकार बनाया गया है।
6. यह है कि प्रतिवादीगण के दादा स्व0 श्री भूरिया पुत्र सालगा का अंकन जमाबन्दी सं0 2018 में गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ है, जो गलत अंकन ताहाल बदस्तूर है, सम्वत 2018 के आधार पर प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कानून कोई हक व अधिकार भी हासिल नही होते है, जबकी विवादित आराजी वादीगण की खानदानी व पैत्रिक आराजी है। जिस पर वादीगण मौके पर शान्तिपूर्वक बिना किसी अवरोध के काबिज व दखिल है तथा काश्त कर रहे है।

7. यह है कि विवादित आराजी का 1/2 भाग जो नाथिया, हरफूल के वारिसान का है, वो निर्विवाद है, जिन पक्षकारों व उनके हिस्से वादीगण को कोई अनुतोष नही चाहा गया है, इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक नही है, इसलिए उन्हे पक्षकार दावा में नही बनाया गया है।
8. यह है कि वादीगणों ने अपनी आराजी पर सरकार द्वारा देय कृषि सुविधाओं का लाभ लेने के लिये राजस्व रिर्कोड का अवलोकन किया तो मालूम हुआ की विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के दादा का नाम गलत रूप से अंकित है, तब वादीगणों ने समस्त राजस्व रिर्कोड की नकूलात हालिस की जो नकल वादीगण को दिनांक 2/7/2012 को प्राप्त हुई है।
9. यह है कि राजस्व रिर्कोड की नकल लेने के बाद दिनांक 5/7/2012 को प्रतिवादीगणों से सर्म्पक कर गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने गलत इन्द्राज को दूरुस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया व आराजी पर जबरन कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दी है। वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है. इसलिए मिन वादीगण अपने अधिकारों की रक्षार्थ दावा इश्तकरारहक बग्य दूरुस्ती इन्द्राज वो हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।
10. यह है कि प्रतिवादीगणों को अब अपने दादा के नाम का विवादित आराजी जो, वादीगण के कब्जेकाश्त की है, में गलत अंकन का पता चलने पर उनके मन में बदयान्ती आ गई व उन्होने आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है, इसलिए वादीगण, प्रतिवादीगणों को जरियें हु० ई० दवामी पाबन्द कराने के अधिकारी है कि आराजी मुतनाजा को कही रहन, बैय, हिबा आदि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादीगण के कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा करे, व ना ही मिन वादीगण को आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा करे।
11. यह है कि मिन वादीगणों को विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के दादा स्व० श्री भूरिया के नाम गलत अंकन होने की जानकारी होने व दिनांक 2/7/2012 को राजस्व रिकॉड की नकले मिलने तथा प्रतिवादीगणों द्वारा दिनांक 5/7/2012 को राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने से इन्कार करने तथा जबरन कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देने से बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।
12. यह है कि दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती का पेश किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर को पक्षकार बनाया गया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन प्रतिवादीगण को गलत इन्द्राज की जानकारी होने के कारण प्रतिवादीगण ने जबरन विवादित आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी है, जिससे दावा अर्जेन्ट नेचर का है। इसलिए नोटिस नही दिया जा सका है, तथा बिना नोटिस दिये वाद पेश किया जा रहा है,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु अलग से धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र दावा के साथ संलग्न है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
यह है कि दावा वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।
(अ) करार दिया जावे कि साबिक आराजी खं०नं0 449 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, जिसके हाल खं० नंम्बरान 961 रकबा 0.03 है0, 982 रकबा 0.76 है0, 986 रकबा 0.39 है0, 987 रकबा 1.58 है0, वाके ग्राम मंढा तह० मुण्डावर जिला अलवर का 1/2 भाग मिन वादीगण के पिता/दादा स्व० श्री बूलाराम की कब्जेकाश्त की आराजी है, जिसमें गैर काननी तौर से प्रतिवादीगण के दादा भूरिया पुत्र सालगा के नाम का हो रहा अंकन को हजफ किया जावे एवं वादी सं० 1 को 1/4 भाग का व वादी सं0 2 ल0 6 को समभाग में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी कदर राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
(ब) डिकी हु० ई० दवामी इस अमर की फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा नही करे, ना ही आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करे, ना ही आराजी पर जबरन कब्जा कर मिन वादीगण को बेदखल करे,
(स) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(द) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 की ओर से इकबाल जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 03, 05, लगायत 08 की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावे के दाईत में पीडब्लू–1 मातादीन पुत्र बूला, पीडब्लू–2 जगदीश पुत्र झूथर राम, विजय पुत्र गब्दू, पीडब्लू –4 रमेश पुत्र मूलचन्द के शपथ पत्र पेश किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 किता 3, प्रदर्श–2 नकल मिसल हकियत सम्वत 2029 किता–2, प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 1998, प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2002, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी सम्वत 2014, प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी सम्वत 2018 अंकित कराये गये।

लिखित बहस मिन वादी की ओर से निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह है कि वादीगणो द्वारा एक वाद उक्त उनवान अदालत श्रीमान में इस आशय का पेश किया गया है। कि आराजी हाल ख0नम्बरान 961 रकबा 0.03 है0, 982 रकबा 0.76 है0, 986 रकबा 0.39 है0, 987 रकबा 1.58 है0, का 1/2 भाग वाके ग्राम मंढा तह0 मुण्डावर जिला तत्कालीन अलवर जिला खैरथल–तिजारा, राज0 में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

श्रीमानजी, उक्त विवादित आराजी हाल ख0नम्बरान के सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के द्वारा निम्न पैमूद किये गये है–

क0 स0	साबिक ख0न0 2029	2029 के बाद ख0 न0	सैटलमेन्ट स0 2070 के बाद हाल ख0न0
1	449 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा	961 रकबा 2 बिस्वा	1104 रकबा 0.03 है0
		982 रकबा 3 बीघा	1131 रकबा 0.01 है0
		986 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा	1132 रकबा 0.75 है0
		987 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा	1137 रकबा 0.40 है0

श्रीमानजी, विवादित आराजी वादी स0 1 के पिता एवं वादी स0 2 ल0 6 के दादा स्व0 श्री बूलाराम की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है उक्त विवादित आराजी के साबिक ख0न0 449 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा थे, जिससे भू–प्रबंधक विभाग स0 2029 ने हाल ख0न0 961 रकबा 0.03 हैक0, 982 रकबा 0.76 हैक0, 986 रकबा 0.39 हैक0, 987 रकबा 1.58 हैक0 वाके ग्राम मंढा मे पैमूद किये है व हाल सैटलमेन्ट ने ख0न0 1104 रकबा 0.03 हैक0, 1131 रकबा 0.01 हैक0, 1132 रकबा 0.75 हैक0, 1136 रकबा 0.39 हैक0, 1137 रकबा 0.40 हैक0 पैमूद किये गये है।

श्रीमानजी, विवादित आराजी वादीगण के बुजूर्ग स्व0 श्री बूलाराम की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है। स्व0 श्री बूलाराम के हम वादीगण विधिक वारिस है। सजरा निम्न है–

बूलाराम(फौत)

झूथा (फौत) — मातादीन (फौत)

जगदीश पुत्र, शमशेर पुत्र, अमरसिंह पुत्र, पप्पू पुत्र, जसवन्त पुत्र

धपती पुत्री, चलती पुत्री, धारासिंह पुत्र, ज्योती पुत्रवधू, कृष्ण पौत्र, मनीषा पोत्री, अभयसिंह पुत्र, अजीत पुत्र

श्रीमानजी, साबिक ख0न0 449 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 1998 व जमाबन्दी सम्वत 2002 के अनुसार वादीगण के बुर्जूगान नाथिया, हरफूल 1/3 भाग बुला 1/3 भाग, बोदन 1/3 भाग के खातेदार काष्तकार थे, बोदन लावल्द बिला औरत फौत हो गया। चूकि बोदन वादीगण के बुर्जूगो के परिवार से था, इसलिए उसके विधिक वारिस भी बुलाराम व नाथिया ,हरफूल थे, और बोदन के फौत होने के बाद उसके हिस्से की आराजी 1/3 भाग में से 1/2 भाग नाथिया ,हरफूल व 1/2 भाग मिन वादी के पिता/दादा बुलाराम में निहित हो गया, जो निर्विवाद है। इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी के 1/2 भाग के काष्तकार खातेदार हो गय व मौके पर भी बुजूगो के समय से ही इसी प्रकार काबिज होकर काष्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

श्रीमानजी, प्रतिवादीगण के दादा भूरिया पुत्र सालगा काफी चालाक प्रवृति का आदमी था, जिसने राजस्व कर्मचारियो से साजबाज होकर वादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी को अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करा लिया, जबकि विवादित आराजी से उनका कभी भी कोई सम्बंधर व सरोकार नही था व ना ही आज है प्रतिवादीगण का प्रतिवादीगणा के पूर्वजो का आज दिन तक विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। राजस्व रिकोर्ड मे खिलाफ मौका अंकन दर्ज हो रहा है, जो गलत है इसलिए वादीगण इस गलत अंकन को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। व प्रतिवादीगणा के दादा भूरिया पुत्र सालगा के नाम गैर खातेदारी का चला आ रहा अंकन हजफ कराकर अपने आपको 1/2 भाग का खातेदार काष्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। भूरिया पुत्र सालगराम फौत हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी स0 1 ल 6 है।

श्रीमानजी, प्रतिवादीगण के दादा स्व0 श्री भूरिया पुत्र सालगा का अंकन जमाबन्दी स0 2018 में गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ ह। जो अंकन ताहाल बदस्तूर है सम्वत 2018 के आधार पर प्रतिवादीगण को कानून कोई हक व अधिकार भी हासिल नही होते है क्योकि उक्त आराजी कभी भी गैर खातेदारी व कस्टोडियन की भूमि नही रह है। विवादित आराजी वादीगण की खानदानी व पैत्रिक आराजी है। जिस पर वादीगण मौके पर षान्तिपूर्वक बिना किसी अवरोध के काबिज व दखिल है। तथा काष्त कर रहे है। विवादित आराजी का 1/2 भाग जो नाथिया, हरफूल के वारिसान का है, वो निर्विवाद है, जिन पक्षकारो व उसके हिस्से से वादीगण को कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिए उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है।

श्रीमानजी, वादीगणो ने अपनी आराजी पर सरकार द्वारा देय कृषि सुविधाओ का लाभ लेने के लिए राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया तो मालूम हुआ की विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के दादा का नाम गलत रूप से अंकित है। तब वादीगणो ने समस्त राजस्व रिकोर्ड की नकूलात हासिल की तो जानकारी हुई ।

श्रीमानजी, प्रतिवादी स0 1 ल0 4 ने अदालत श्रीमान में उपस्थित होकर वादी के वाद का समर्थन करते हुऐ दिनांक 7/8/2012 को ईकबाल जवाब पेश किया व प्रतिवादी स0 5 ने दिंनाक 3/12/2012 को अपनार ईकबाल जवाब पेश किया।

श्रीमानजी, विवादित आराजी वादीगण की पैत्रिक कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है इसलिए वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है अपने अधिकारो की रक्षार्थ मौजूदा वाद पेश कर वाद में विवादित आराजी सम्वत् 2070 के बाद सैटलमेन्ट कर्मचारीयो द्वारा पैमूद किये गये हाल ख0न0 1104 रकबा 0.03 हैक0, 1131 रकबा 0.01 हैक0, 1132 रकबा 0.75 हैक0, 1136 रकबा 0.39 हैक0, 1137 रकबा 0.40 हैक0 वाके ग्राम मंढा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 का 1/2 भाग मिन वादीगण के पिता/दादा स्व0 श्री बुलाराम की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें वादी स0 1 के विधिक वारिसान को 1/4 भाग व वादी स0 2 ल 6 को सम्भाग में 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। दौराने वाद वादी स0 1 की मृत्यु हो गई जिसके विधिक वारिस वादी स0 1/1 ल0 1/8 है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

श्रीमानजी वादीगणो द्वारा मौखिक साक्षी के रूप में पी. डब्लू –1 मातादीन,2. जगदीश,3. विजय, 4. रमेशचन्द के शपथ पत्र पर बयान करवाये व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किये जो निम्न है–

1. प्रदर्श स0 1 – जमाबन्दी सम्वत 2068–71
2. प्रदर्श स0 2– मिसल हकीयत स0 2029
3. प्रदर्श स0 3– मिलान क्षेत्रफल स0 2029
4. प्रदर्श स0 4– जमाबन्दी सम्वत् 1998
5. प्रदर्श स0 5– जमाबन्दी सम्वत् 2002
6. प्रदर्श स0 6– जमाबन्दी सम्वत् 2014
7. प्रदर्श स0 7– जमाबन्दी सम्वत् 2018

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि आराजी हाल ख0न0 1104 रकबा 0.03 हैक0, 1131 रकबा 0.01 हैक0, 1132 रकबा 0.75 हैक0, 1136 रकबा 0.39 हैक0, 1137 रकबा 0.40 हैक0 वाके ग्राम मंढा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 का 1/2 भाग मिन वादीगण के पिता/दादा स्व0 श्री बुलाराम की कब्जेकाश्त खातेदारी होने के कारण वादी स0 1 के विधिक वारिसान को 1/4 भाग व वादी स0 2 ल 6 को सम्भाग में 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के दादा भूरिया का नाम हजफ किया जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

संक्षिप्त विवेचन

वाद वादीगण द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी (साबिक खसरा नं. 449 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, वर्तमान खसरा नं. 961, 982, 986, 987 तथा सैटलमेंट पश्चात खसरा नं. 1104, 1131, 1132, 1136, 1137, ग्राम मंढा, तहसील मुण्डावर) वादीगण के पूर्वज स्व. बूलाराम की पैत्रिक कब्जेकाश्त एवं खातेदारी भूमि है। वादीगण स्वयं को स्व. बूलाराम के विधिक वारिस बताते हुए उक्त भूमि के 1/2 भाग पर खातेदारी अधिकार का दावा करते हैं।

वादीगण का कथन है कि साबिक जमाबन्दियों (सम्वत 1998 एवं 2002) में उक्त भूमि नाथिया, हरफूल, बूलाराम एवं बोदन के नाम खातेदारी में दर्ज थी। बोदन की बिना संतान मृत्यु होने पर उसका हिस्सा नाथिया, हरफूल एवं बूलाराम में विधिक रूप से समाहित हो गया, जिससे वादीगण के पूर्वज बूलाराम का 1/2 भाग स्थापित हुआ। वादीगण का यह भी कथन है कि वे निरंतर उक्त भूमि पर कब्जे में रहकर खेती करते आ रहे हैं।

वादीगण ने यह आरोप लगाया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज भूरिया पुत्र सालगा ने राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ कर गलत रूप से अपने नाम गैर खातेदारी अंकन दर्ज करा लिया, जबकि उनका भूमि से कोई संबंध या कब्जा नहीं रहा। उक्त गलत अंकन के कारण वादीगण के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

वाद में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य (जमाबन्दी सम्वत 1998, 2002, 2014, 2018, मिसल हकियत एवं मिलान क्षेत्रफल) से यह प्रमाणित होता है कि साबिक खसरा नं. 449 वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी तथा उसके विभाजन उपरांत वर्तमान खसरों में परिवर्तित हुई। मौखिक साक्षियों (पीडब्ल्यू–1 से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पीडब्ल्यू–4) के बयानों से भी वादीगण का कब्जा एवं खेती करना सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब में भी वादी के दावे का समर्थन किया गया है, जबकि अन्य प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के समग्र अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि विवादित आराजी का 1/2 भाग वादीगण के पूर्वज स्व. बूलाराम की खातेदारी भूमि थी तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज भूरिया के नाम का अंकन त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। अतः वादीगण अपना दावा सिद्ध करने में सफल रहे हैं और वादीगण उक्त भूमि के 1/2 भाग पर खातेदारी अधिकार घोषित कराये जाने तथा राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कराये जाने के अधिकारी हैं।

निर्णय

वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नं. 1104, 1131, 1132, 1136, 1137, ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के 1/2 भाग पर वादीगण के पूर्वज स्व. बूलाराम की खातेदारी अधिकारिता घोषित की जाती है। तदनुसार वादी सं. 1 के विधिक वारिसान को 1/4 भाग एवं वादी सं. 2 से 6 को समभाग में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में संशोधन/दुरूस्ती की जावें। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वयं वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
165/2012	10.07.2012	18.03.2026

बउनवान

1. मतादीन पुत्र बूला (फौत)
1/1 धपती पुत्री मातादीन
1/2 चलती पुत्री मातादीन
1/3 धारासिंह पुत्र मातादीन
1/4 ज्योति पत्नि रामनिवास
1/5 कृष्ण पुत्र रामनिवास
1/6 मनीषा पुत्री रामनिवास
1/7 अभय सिंह पुत्र मातादीन
1/8 अजीत पुत्र मातादीन निवासीयान मंढा तह0 मुण्डावर
2. जगदीश पुत्र झूथर
3. शमसेर पुत्र झूथर
4. पप्पू पुत्र झूथर
5. अमरसिंह पुत्र झूथर
6. जसवन्त पुत्र झूथर निवासी मंढा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. साधूराम पुत्र सीताराम निवासी मंढा तह0 मुण्डावर
2. रामसिह पुत्र भोलूराम
3. सरिया पुत्री भोलूराम
4. सरजीत पुत्र भोलूराम
5. कंवरसिंह पुत्र भोलूराम
6. चलती देवी पुत्री भोलूराम निवासीयान मंढा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर
8. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय हु0 ई0 वो हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री सतीश यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 18.03.2026** को **श्रीमती सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी की जाती है :–

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

विवादित आराजी खसरा नं. 1104, 1131, 1132, 1136, 1137, ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के 1/2 भाग पर वादीगण के पूर्वज स्व. बूलाराम की खातेदारी अधिकारिता घोषित की जाती है। तदनुसार वादी सं. 1 के विधिक वारिसान को 1/4 भाग एवं वादी सं. 2 से 6 को सम्भाग में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों मे संशोधन/दुरूस्ती की जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)